प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>एकलपीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा</u>

दांडिक अपील क्रमांक 88/2004

राजकुमार सोनी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

निर्णय पारित किया गया दिनांक 23-04-2012

सही/-

(आर. एस. शर्मा)

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकलपीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा

दांडिक अपील क्रमांक 88/2004

अपीलार्थी राजकुमार सोनी, पिता– गयाराम सोनी, आयु लगभग 28 वर्ष, पेशा– फल विक्रेता, निवासी– कतियापारा, संतोषी मंदिर के पास, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित :

श्री मलय कुमार भादुड़ी, अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता।

श्री संदीप यादव, उप-शासकीय अधिवक्ता, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील।

निर्णय

(23 अप्रैल, 2012 को पारित)

1. यह अपील दिनांक 21-01-2004 को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 155/2003 में पारित निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है। आक्षेपित निर्णय द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी राजकुमार सोनी को निम्नानुसार दोषसिद्ध ठहराते हुए दंडित किया गया है तथा यह निर्देश दिया गया है की समस्त सजाएं साथ-साथ चलेंगी-

भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अधीन	सात (07) वर्ष का सश्रम कारावास तथा ₹1,000/- (एक हजार रुपये) का अर्थदंड; अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त 06 माह का सश्रम कारावास।
भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अधीन	सात (07) वर्ष का सश्रम कारावास तथा ₹1,000/- (एक हजार रुपये) का अर्थदंड; अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त 06 माह का सश्रम कारावास।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियोजन का संक्षिप्त कथन इस प्रकार है :—

2.अभियोजन के अनुसार, दिनांक 30-04-2002 को अपीलार्थी ने अभियोक्त्री कुमारी सरिता देवांगन (अ.सा-1) को बलपूर्वक पीथमपुर (इंदौर) ले जाकर

अपने मित्र के घर पर रखा। वहां अपीलार्थी ने अभियोक्त्री की सहमति के बिना उसके साथ लैंगिक संबंध स्थापित किया। अपीलार्थी ने अभियोक्त्री को लगभग 08 माह तक वहीं रखा। अभियोक्त्री की माता श्रीमती गीता (अ.सा-2) ने इस संबंध में थाना सिटी कोतवाली, बिलासपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी-9) दर्ज कराई, जिसके आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 363, 366 एवं 376 के अधीन अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभियोक्त्री ने पीथमपुर से अपनी माता श्रीमती गीता (अ.सा-2) को एक पत्र लिखा। उक्त सूचना प्राप्त होने पर पुलिस तोरन कुमार देवांगन (अ.सा-3), जुगुत देवांगन एवं रामनाथ देवांगन के साथ पीथमपुर गई। अभियोक्त्री को ग्राम धन्नाद, थाना पीथमपुर स्थित इंद्रजीत चौधरी (अ.सा 7) के किराये के मकान से अपीलकर्ता के कब्जे से बरामद किया गया। इस संबंध में बरामदगी पंचनामा (प्र.पी-1) तैयार किया गया तथा अभियोक्त्री को वापस बिलासपुर लाया गया। अभियोक्त्री को चिकित्सीय परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय, बिलासपुर भेजा गया। डॉ. सी.एम. तिवारी (अ.सा-8) ने अभियोक्त्री का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट (प्र.पी-3) प्रस्तुत की। अभियोक्त्री की आयु निर्धारण के संबंध में डॉ. एस. चटर्जी (अ.सा-11) द्वारा परीक्षण किया गया एवं रिपोर्ट (प्र.पी-20) प्रस्तुत की गई, जिसमें परीक्षण की तिथि पर अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष पाई गई। अपीलार्थी को भी चिकित्सीय परीक्षण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हेतु छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर भेजा गया। डॉ. आर.के. गुप्ता (अ.सा-12) ने अपीलकर्ता का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट (प्र.पी-22) प्रस्तुत की। विवेचना के दौरान घटनास्थल नक्शा (प्र.पी-4) तैयार किया गया। एक अंतर्देशीय को प्र.पी-6 के तहत जप्त किया गया तथा शाला स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (प्र.पी-7) के अंतर्गत जप्त किया गया। अभियोक्त्री के अंतवस्त्र एवं योनि स्लाइड को प्र.पी-16 के माध्यम से रासायनिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया, जिसकी प्रविष्टि प्र.पी-16 है। प्रयोगशाला के माध्यम से प्राप्त रिपोर्ट प्र.पी 18 है। रिपोर्ट प्र.पी-18 में वस्तु ए अर्थात (स्लाइड) एवं वस्तु बी अर्थात अंत वस्त्र (अंडरवियर) में मानव शुक्राणु (**spermatozoa**) नहीं पाए गए। साक्षियों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत अपीलकर्ता के विरुद्ध अभियोग पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से प्रकरण को सत्र न्यायालय, बिलासपुर को समर्पित किया गया। जिसे चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर ने अंतरण पर प्राप्त किया, जिन्होंने विचारण उपरांत अपीलकर्ता को धारा 376 भा.दं.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया तथा शेष आरोपों में उसे उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध एवं दंडित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मलय कुमार भादुड़ी ने यह तर्क प्रस्तुत

किया कि घटना की तिथि को अभियोक्त्री कुमारी सरिता देवांगन (अ.सा-1) की आयु 18 वर्ष से अधिक थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष विकृत एवं असंगत है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोक्त्री स्वेच्छा से अपना घर छोड़कर गई थी तथा वह अपीलकर्ता के साथ लगभग 7–8 माह तक रही। इस अवधि में अभियोक्त्री को अनेक अवसर उपलब्ध थे कि वह वहां से चली जाती, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। इससे यह प्रतीत होता है कि अभियोक्त्री सहमति प्रदान करने वाली पक्षकार थी। अतः घटना की तिथि को अभियोक्त्री बालिग थी तथा उसने स्वेच्छा से अपना पैतृक गृह छोड़ा, इसलिए अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363 एवं 366 के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता, और अपीलकर्ता दोषमुक्ति का अधिकारी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप-शासकीय अधिवक्ता श्री संदीप यादव ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ता को दी गई दोषसिद्धि एवं दंडादेश पूर्णतः न्यायोचित है तथा इसमें इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के पश्चात्, मैंने सत्र प्रकरण क्रमांक 155/2003 के संपूर्ण अभिलेख का परीशीलण किया है।

6. अब मैं यह परीक्षण करता हूँ कि घटना की तिथि को अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष से कम थी अथवा नहीं।

7. अभियोक्त्री कुमारी सरिता देवांगन (अ.सा-1) ने अपने कथन में बताया कि उसका जन्म जून, 1985 में हुआ था। उसने आठवीं कक्षा तक अध्ययन किया है। अभियोक्त्री की माता श्रीमती गीता (अ.सा-2) ने अपने कथन में बताया कि अभियोक्त्री ने शनिचरी पड़ाव स्कूल में छठवीं कक्षा तक अध्ययन किया तथा इसके पश्चात् उसने महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में आठवीं कक्षा तक अध्ययन किया। उन्होंने यह भी बताया कि अभियोक्त्री उनकी तीसरी संतान है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. श्रद्धा सिद्ध भट्टी (अ.सा-4) ने अपने कथन में बताया कि वह वर्ष 1970 से शनिचरी पड़ाव स्कूल में सहायक शिक्षिका के पद पर पदस्थ थीं तथा अपने बयान की तिथि को उसी विद्यालय में कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका के पद पर पदस्थ थीं। उन्होंने आगे कथन किया कि रामू देवांगन की पुत्री कुमारी सरिता देवांगन (अभियोक्त्री) का नाम दाखिल-खारिज (प्रवेश एवं नामावली) रजिस्टर में क्रमांक 7203 पर दर्ज है। उक्त दाखिल-खारिज रजिस्टर के अनुसार अभियोक्त्री की जन्मतिथि 09-06-1985 अंकित है। उन्होंने यह भी बताया कि अभियोक्त्री ने उक्त विद्यालय में 05-07-1991 से 01-05-1996 तक अध्ययन किया।

9. प्र.पी-8सी वर्ष 1991 के दाखिल-खारिज (प्रवेश एवं नामावली) रजिस्टर की

छायाप्रति है, जिसमें रामू देवांगन की पुत्री कुमारी सरिता देवांगन (अभियोक्त्री) का नाम क्रमांक 7203 पर दर्ज है। प्र.पी-8सी के अनुसार अभियोक्त्री की जन्मतिथि 09-06-1985 अंकित है।

10. घटना की तिथि 30-04-2002 है तथा अभियोक्त्री की जन्मतिथि 09-06-1985 दर्शाई गई है। अतः प्र.पी-8सी के आधार पर घटना की तिथि को अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष से कम प्रतीत होती है। तथापि, अभियोक्त्री की माता श्रीमती गीता (अ.सा-2) ने प्रतिपरीक्षा के दौरान पैरा 14 में यह स्वीकार किया कि उन्होंने अपने बच्चों—तोरन, शरद तथा कुमारी सरिता (अभियोक्त्री)—की जन्मतिथियाँ उनकी वास्तविक जन्मतिथियों से एक वर्ष बढ़ाकर दर्ज कराई थीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. प्र.पी-8सी, जो वर्ष 1991 के दाखिल-खारिज रजिस्टर की छायाप्रति है, एक लोक दस्तावेज है तथा साक्ष्य में ग्रहण है; किंतु श्रीमती गीता (अ.सा-2) के उक्त कथन के प्रकाश में अभियोक्त्री की जन्मतिथि 09-06-1985 होने पर संदेह उत्पन्न होता है। डॉ. एस. चटर्जी (अ.सा-11) ने अपने कथन में बताया कि अभियोक्त्री की आयु लगभग 18 वर्ष थी।

12. उपर्युक्त अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य के समग्र अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन निश्चायक एवं निर्णायक साक्ष्य द्वारा यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि घटना की तिथि को अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष से कम थी।

13. धाराएँ 363 एवं 366 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोपों के संबंध में— व्यपहरण के अपराध को सिद्ध करने हेतु अभियोजन के लिए यह आवश्यक था कि वह यह प्रमाणित करे कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री को उसके विधि पूर्ण संरक्षकता में से बाहर ले गया अथवा बहलाकर ले गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 361, जिसमें व्यपहरण की परिभाषा दी गई है, के पीछे विधायिका का उद्देश्य अवयस्क बच्चों को अनुचित उद्देश्यों हेतु बहकाए जाने से संरक्षण प्रदान करना तथा उनके अधिकारों की रक्षा करना है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. ठाकोरलाल डी. वडगामा बनाम गुजरात राज्य, ए.आई.आर. 1973 सर्वोच्च न्यायालय 2313 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप से अभिव्यक्त किया है :—

> **"**धारा 361 में 'जो कोई किसी अप्राप्तवय को ले जाता है या बहका ले जाता है' शब्दों का प्रयोग किया गया है। 'ले जाता है' शब्द का अर्थ निःसंदेह शारीरिक रूप से ले जाना है, किंतु आवश्यक नहीं कि यह बल या कपट के प्रयोग से ही हो। बहका ले जाता' शब्द में प्रेरणा अथवा प्रलोभन का तत्व निहित है, जिसके द्वारा दूसरे के मन में आशा या इच्छा उत्पन्न की जाती है। यह प्रभाव तात्कालिक भी हो सकता है अथवा निरंतर एवं क्रमिक, किंतु अप्रत्यक्ष प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, जो कुछ समय पश्चात् अपने अंतिम उद्देश्य—सफल प्रेरण—में परिणत हो जाता है। इन दोनों शब्दों को

साथ-साथ पढ़ने से यह संकेत मिलता है कि यदि कोई अप्राप्तवय अपने माता-पिता के घर को किसी भी प्रकार के वचन, प्रस्ताव या प्रेरणा से पूर्णतः अप्रभावित होकर छोड़ देती है, तो ऐसे में दोषी पक्ष को अपहरण का अपराधी नहीं माना जा सकता। किंतु यदि दोषी पक्ष द्वारा किसी प्रकार का प्रलोभन, आकर्षण, धमकी आदि की आधारशिला रखी गई हो और यदि यह माना जा सके कि उसी के प्रभाव में अप्राप्तवय ने अपने संरक्षक की अभिरक्षा छोड़ी हो अथवा दोषी के पास गई हो, तो प्रथमदृष्टया उसके लिए यह कहना कठिन होगा कि अवयस्क स्वेच्छा से उसके पास आई थी। यदि अभियुक्त ने पूर्व में किसी भी प्रकार से उसे अपने पिता के संरक्षण से बाहर आने हेतु प्रेरित किया हो या यह संकेत दिया हो कि वह उसे आश्रय प्रदान करेगा, तो मात्र यह तथ्य कि उसका कृत्य अप्राप्तवय के घर छोड़ने का तात्कालिक कारण नहीं था, उसे वैध बचाव प्रदान नहीं करता और न ही उसे दोषमुक्त करता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. अभियोक्त्री कुमारी सरिता देवांगन (अ.सा-1) ने अपने कथन में बताया कि उसके बयान की तिथि से लगभग तीन वर्ष पूर्व अपीलकर्ता ने उससे कहा था कि वह उससे प्रेम करता है तथा उसे अपने-अपने घर छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर विवाह करने के लिए कहा था। उसने यह भी बताया कि उस समय उसकी आयु 17 वर्ष थी। अभियोक्त्री ने यह भी कथन किया

कि अपीलार्थी ने उससे कहा था कि जैसे ही वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त करेगी, वह उससे विवाह कर लेगा। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी ने उसे यह धमकी भी दी थी कि यदि उसने उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, तो वह आत्महत्या कर लेगा।

16. अभियोक्त्री कुमारी सरिता देवांगन (अ.सा-1) ने आगे कथन किया कि अपीलार्थी ने उसे पीथमपुर (इंदौर) में अपने मित्र के घर पर रखा, जहाँ अपीलार्थी ने उसकी सहमति के बिना उसके साथ लैंगिक संबंध स्थापित किया। अपीलार्थी ने उसे वहाँ लगभग 08 माह तक रखा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. अभियोक्त्री कुमारी सरिता देवांगन (अ.सा-1) ने प्रतिपरीक्षा के दौरान पैरा 10 में यह स्वीकार किया कि यह सत्य है कि उसने अपीलार्थी को प्रेम-पत्र लिखे थे। यह भी सत्य है कि उसने उक्त सभी प्रेम-पत्र अपीलार्थी को तीन वर्षों की अवधि के भीतर लिखे थे। उसने आगे यह भी बताया कि उसने अपीलार्थी को कई पत्र लिखे थे। उसके द्वारा अपीलार्थी को लिखे गए पत्र (प्र.डी 1 से डी 6) हैं। उसने पीथमपुर से वापस आने के पश्चात् भी अपीलार्थी को पत्र लिखे थे।

18. अभियोक्त्री कुमारी सरिता देवांगन (अ.सा-1) ने जिरह के दौरान पैरा 14 में यह भी कथन किया कि जब वह पीथमपुर में अपीलार्थी के साथ रह रही थी, तब अपीलार्थी किसी कंपनी में प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक कार्य करने जाता था। वह दोपहर में लगभग 1 बजे भोजन करने के लिए घर आता था तथा घर पर

लगभग 5 से 10 मिनट तक रुकता था।

19. अभियोक्त्री कुमारी सरिता देवांगन (अ.सा-1) ने प्रतिपरीक्षा के दौरान पैरा 15 में आगे यह कथन किया कि यह सत्य है कि वह अपीलार्थी के साथ घनी बस्ती में स्थित एक किराये के मकान में रहती थी, जहाँ अन्य व्यक्तियों के घर भी स्थित थे। यह कहना गलत है कि उसने पीथमपुर से अपने घर पर टेलीफोन किया था। पीथमपुर में अपीलार्थी के साथ लगभग 08 माह तक रहने की अवधि के दौरान वह अपीलार्थी के साथ 1–2 बार बाजार गई थी। अपीलकर्ता ने उसे घर से बाहर न जाने के लिए कहा था, इसलिए वह घर से बाहर नहीं जाती थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. अभियोक्त्री कुमारी सरिता देवांगन (अ.सा-1) ने प्रतिपरीक्षा के दौरान पैरा 17 में यह भी कथन किया कि वह बिलासपुर से इंदौर अपीलार्थी के साथ रेलगाड़ी द्वारा गई थी। इंदौर रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी से उतरने के पश्चात् वे दोनों बस द्वारा पीथमपुर गए थे तथा उन्होंने इंदौर रेलवे स्टेशन के समीप ही बस में बैठकर यात्रा की थी।

21. अभियोक्त्री कुमारी सरिता देवांगन (अ.सा-1) ने प्रतिपरीक्षा के दौरान पैरा 18 में यह भी स्वीकार किया कि जब अपीलार्थी कंपनी में काम करने चला जाता था और वह घर पर अकेली रहती थी, उस अवधि में भी उसने किसी को यह नहीं बताया कि अपीलार्थी ने उसे उसके पैतृक घर से व्यपहरण कर वहाँ लाया है।

22. अभियोक्त्री कुमारी सरिता देवांगन (अ.सा-1) ने प्रतिपरीक्षा के दौरान पैरा 19 में आगे यह स्वीकार किया कि यह सत्य है कि वे दोनों एक-दूसरे को प्रेम-पत्र दिया करते थे तथा वे रेस्तरां एवं कॉफी हाउसों में एक-दूसरे से मिलते थे। यह भी सत्य है कि अपीलार्थी ने उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा था और उसके प्रत्युत्तर में उसने उससे उस विषय में विचार करने हेतु समय माँगा था|

23. इंद्रजीत चौधरी (अ.सा-7) ने अपने कथन में बताया कि अपीलार्थी एवं अभियोक्त्री उसके मकान में किराये से रह रहे थे। अपीलार्थी ऑटो डिज़ाइन फैक्ट्री में कार्य करता था। उन्होंने यह भी बताया कि वे दोनों उसके मकान में लगभग 05 माह तक रहे। इन 5 माह की अवधि के दौरान उनके मध्य कोई विवाद/झगड़ा नहीं हुआ। कभी भी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री को घर में बंधक बनाकर अथवा उसकी स्वतंत्रता सीमित कर अपने पास रखा हो।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

24. श्याम एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1995 क्रि.ल.ज. 3974 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिमत व्यक्त किया है :—

> "न्यायालय में दिए गए अपने बयान में अभियोक्त्री ने अपीलार्थियों पर आरोप लगाया है। उसने यह कथन किया कि व्यपहरण के समय से ही उसे धमकी दी जाती रही तथा पुलिस द्वारा अंततः बरामद किए जाने तक वह धमकी में रखी गई। सामान्यतः इस संबंध में उसका कथन अस्वीकार करना कठिन होता,

किंतु उसके आचरण तथा तथाकथित 'ले जाने' की प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रतीत नहीं होता कि अभियोक्त्री इस संबंध में सत्य कह रही थी। प्रथम दृष्टया यह अत्यधिक संयोग प्रतीत होता है कि अभियोक्त्री, जो अनेक व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सार्वजनिक नल पर गई थी, वहाँ अकेली मिल जाए, अथवा यह कि अपीलार्थी/अभियुक्त उसकी गतिविधियों पर दृष्टि बनाए हुए हों और अचानक वहाँ प्रकट होकर उसे उसकी माता की विधि-पूर्ण संरक्षकता से बाहर 'ले जाकर' व्यपहरण का अपराध कर डालें। द्वितीयतः, जिस सामाजिक स्तर से संबंधित पक्षकार हैं, उस स्तर के व्यक्तियों का एक-दूसरे के घर जाते समय किसी के ध्यान में न आना विश्वास योग्य नहीं है। अभियोक्त्री को साइकिल के कैरियर पर किसी बोझ की भाँति बाँधकर नहीं ले जाया गया था। वह सरलता से साइकिल से उतर सकती थी। वह पूर्ण विकसित युवती थी —भले ही उसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण न हुई हो—फिर भी वह समझ-बूझ की आयु में थी, विवेकशील थी तथा अभियुक्त श्याम की मंशा से अवगत थी कि वह उसे किसी उद्देश्य से ले जा रहा है। अभियुक्त द्वारा पूर्व में दिए गए विवाह प्रस्ताव के कारण यह तथ्य अभियोक्त्री से छिपा नहीं था कि वह किसके साथ जा रही है। ऐसी स्थिति में उससे यह अपेक्षित था कि वह साइकिल से उतर जाती, विरोध करती अथवा कम से कम शोर मचाकर स्वयं की रक्षा करती। किंतु उसने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। इससे प्रतीत होता है कि वह स्वयं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपनी इच्छा से अपीलार्थी श्याम के साथ गई थी और इस अर्थ में उसे उसकी माता की अभिरक्षा से बाहर 'ले जाना' नहीं कहा जा सकता।"

25. अभियोक्त्री कुमारी सरिता देवांगन (अ.सा-1) के साक्ष्य तथा पत्रों (प्र.डी 1 से डी 6) के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अभियोक्त्री ने स्वेच्छा से अपना पैतृक घर छोड़ा। घटना की तिथि को अभियोक्त्री की आयु लगभग 18 वर्ष थी। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य यह इंगित करते हैं कि अभियोक्त्री अपीलार्थी के साथ अपनी इच्छा से गई। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी के साथ जाते समय अभियोक्त्री ने किसी के समक्ष कोई शिकायत नहीं की। इससे यह संकेत मिलता है कि वह अपीलकर्ता के साथ स्वेच्छा से गई थी। अभियोजन द्वारा किसी प्रकार की धमकी, बल, दबाव अथवा प्रलोभन का प्रमाण स्थापित न किए जाने की स्थिति में, मेरे विचार में अभियोजन के प्रकरण पर भरोसा करते हुए यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि अपीलार्थी उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों का दोषी है। अभियोक्त्री के पास न केवल बिलासपुर से, बल्कि पीथमपुर स्थित उस मकान से, जहाँ वह अपीलकर्ता के साथ रह रही थी, भाग जाने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. अभियोक्त्री कुमारी सरिता देवांगन (अ.सा-1) का आचरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह सहमति प्रदान करने वाली पक्षकार थी तथा उसने स्वेच्छा से अपना पैतृक गृह छोड़ा।

27. उपर्युक्त कारणों के परिणामस्वरूप, विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 363 एवं 366 के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि एवं दंडादेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं, अतः अपीलकर्ता दोषमुक्त किए जाने का अधिकारी है।

28. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश का आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी वर्तमान में जमानत पर है। उसकी जमानत बंधपत्र रद्द किए जाते हैं तथा प्रतिभूतियाँ उन्मोचित की जाती हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित

(आर. एस. शर्मा)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं कियाजाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By: Aastha Verma